मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.**F.6-12/98/A-XI,** दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

जावक क्रमांक 417-418
भोपाल, दिनांक 24-07-2020

प्रकरण क्रमांक एमएसईएफसी / 705 / 2016

आवेदकः–
M/s Amit Enterprises,
12C/FA, Scheme No. 94,
Above kasliwal Honda,
Near Pipliyahana Square, Ring Road,
Indore-462001 (M.P.)

विरूद्ध अनावेदकगणः–
M/s Concord Drugs Limited,
Survey No. 249, Brahmanapally,
Village – Hayathnagar Mandal,
Rangarreddy,
Distt. – T.S. – 501 511 (Telengana)

<u>माध्यस्थम आदेश दिनांक :–22.07.2020</u>

काउंसिल के समक्ष आवेदक मेसर्स अमित इन्टरप्राईजेस, इन्दौर द्वारा एमएमएमई एक्ट 2006 की धारा 20 सहपठित् धारा 30 के अधीन अनावेदक M/s Concord Drugs Limited, Distt.–T.S. (Telengana) के विरूद्ध मूलधन राशि रूपये 7,36,050/– एवं अपाईन्टेड–डे दिनांक 26.01.2015 से दिनांक 31.07.2016 तक की ब्याज राशि रूप्ये 96,363/– तथा भुगतान दिनांक तक की ब्याज राशि की वसूली हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2016 को प्रस्तुत किया गया।

2. काउन्सिल द्वारा अनावेदक को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस क्रमांक 609, 29.07.2016 जारी किया गया एवं प्रकरण दिनांक 16.02.2017, 27.05.2017, 28.04.2018, 24.07.2019 एवं दिनांक 14.07.2020 को प्रकरण सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया।

3. प्रकरण, सुनवाई दिनांक 14.07.2020 को काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में आवेदक द्वारा ई–मेल दिनांक 01.07.2020 भेजकर अवगत कराया कि प्रकरण में पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया है। आवेदक द्वारा प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन किया गया।

..........2

4. अतएव, ''म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017'' के नियम–9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य उपरोक्तानुसार समझौता होकर, प्रकरण निराकृत होने से, एतद् द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

DR 22/2

(दीपाली रस्तोगी)
अध्यक्ष
म.प्र.सूक्ष्म और लघु उद्यम
फेसिलिटेशन काउन्सिल एवं
उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।

22/2

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक ~~प्रबंधक,~~ निदेशक
एमएसएमई विकास संस्थान,
भोपाल।

(अनन्या विश्वास)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
भोपाल।